प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 17.07.2024**

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को दिनांक 16/17 जुलाई 2024 की रात्रि में मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी पिस्टल .32 बोर नाजायज , एक जिंदा कारतूस .32 बोर व 02 खोखा कारतूस .32 बोर , स्कूटी सफेद रंग व मौके से एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 16/17 जुलाई 2024 की रात्रि में चेकिंग के दौरान निठौरा अन्डर पास के पास एक स्कूटी पर सवार दो व्यक्तियो को चेकिंग के दौरान रोका टोका तो ये दोनों व्यक्ति अपनी स्कूटी को लेकर बायी तरफ रेलवे लाइन के किनारे कच्चे रास्ते की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़कर भागने लगे और पुलिस पार्टी ने इसका पीछा किया तो इनकी स्कूटी भगाते समय फिसल कर गिर गयी और इन दोनों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा भी अपने आत्म रक्षार्थ फायर किये गये जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुये रेल की पटरी के किनारे भागने मे कामयाब हो गया घायल बदमाश ने मौके पर ही संक्षिप्त पूछताछ में अपना नाम तोपेश उर्फ विनय तौमर पुत्र नवीन तौमर निवासी 349 गीतांजली विहार गली नं0 7 नवीन कुंज थाना लोनी गाजियाबाद बताया तथा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 12.07.2024 की रात को मैने और मेरे साथी योगी उर्फ यश शर्मा पुत्र सतीश ग्राम बंथला थाना लोनी गाजियाबाद ने श्री सर्वोदय नर्सिंग होम निकट बंथला फ्लाई ओवर पर जान से मारने की नियत से फाइरिंग की थी तथा यह जो स्कूटी मेरे पास से बरामद हुई है मैने और मेरे साथी योगी ने श्याम अस्पताल ग्राम नगर के सामने से दिनांक 28.06.2024 को चोरी की थी।

1.नाम तोपेश उर्फ विनय तौमर पुत्र नवीन तौमर निवासी 349 गीतांजली विहार गली नं0 7 नवीन कुंज थाना लोनी गाजियाबाद व एक अन्य साथी योगी उर्फ यश शर्मा पुत्र सतीश ग्राम बंथला थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा ही की गई थी चूंकि इसके संबंध में थाना हाजा पर अभियोग अंतर्गत धारा 379 भादवि पंजीकृत है। तथा अभियोग अन्तगर्त धारा 125/109 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत है। घायल अभियुक्त को तत्काल मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये उपचार हेतु 50 सैय्या अस्पताल 02 नम्बर थाना लोनी बॉर्डर भेजा गया गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

अभियुक्त का नाम पता

1. नाम तोपेश उर्फ विनय तौमर पुत्र नवीन तौमर निवासी 349 गीतांजली विहार गली नं 0 7 नवीन कुंज थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष,

बरामदगी का विवरण

1-01 देशी पिस्टल .32 बोर नाजायज एक जिंदा कारतूस .32 बोर व 02 खोखा कारतूस .32 बोर

2- एक स्कूटी सफेद रंग UP 14 EU 7294

3- एक खोखा कारतूस 315 बोर।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 17.07.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रॉयल गार्डन के पास से वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.साहिल पुत्र महबूब निवासी - गौरव मार्केट विकास विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. राशिद पुत्र सुलेमान निवासी - खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली से मोटर साइकिल चुराकर आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं और मुनाफा आपस में बांटकर अपने शौक पूरा करते हैं। ये मोटर साइकिल हमने कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी , जिसे हमने अभी तक छिपाकर रखा हुआ था। आज हम दोनों इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.साहिल पुत्र महबूब निवासी - गौरव मार्केट विकास विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद , उम्र करीब 25 वर्ष

2.राशिद पुत्र सुलेमान निवासी- खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर काले रंग की जिसके आगे व पीछे नम्बर प्लेट पर नम्बर DL7SCA2874 चैसिस न0- MBLJA05EM G9H06563 व इंजन न0- JA05ECG9H27431 लिखा है। (जिसके सम्बन्ध में E-Police Staion MV Theft Crime Branch Delhi में FIR पंजीकृत है।)

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 2 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक16.07.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दिल्ली तुलसी निकेतन अन्तर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक काले रंग की मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति ऋतिक पुत्र श्री धर्मवीर निवासी ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को रोककर चैक करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त मोटर साइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी और मोटर साइकिल चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली में दिनांक 30.06.2024 को सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्काल

मौके से मोटर साइकिल को कब्जे में लेकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ऋतिक पुत्र श्री धर्मवीर उपरोक्त सेपूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने करीब 15 दिन पहले झिलमिल दिल्ली से चोरी की थी ,और असली नम्बर प्लेट को हटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी। ताकि मुझे कोई पकड़ न सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

ऋतिक पुत्र श्री धर्मवीर निवासी ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटर साइकिल व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से आपस में एक-दूसरे पर हमला करने वाले 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16-07-2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र पुस्ता के ग्राम पावी सादकपुर में दो पक्ष आपस में लड़ाई-झगड़ा कर एक-दूसरे को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों व ईट-पत्थर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जिसके संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दोनों पक्षों से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गांव पावी सादकपुर में कलुवा पुत्र फारूख निवासी पावी सादकपुर की परचुन की दुकान है जिसकी गांव के एरिक व भूरा से कोल्ड-ड्रिंक के पैसे न देने के ऊपर कहासुनी व विवाद उत्पन्न हो गया जिसके बाद दोनो पक्षों के लोग एकत्रित होकर गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक-दूसरे के ऊपर लाठी-डंडो व ईट-पत्थर से पथराव कर जान से मारने की नियत से हमला करने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. फिरोज पुत्र शमशाद, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष
2. इश्तिकार पुत्र फरजन्दा, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष
3. इश्तिकार पुत्र फारूख, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष
4. ऑस मोहम्मद पुत्र नेक मोहम्मद, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 49 वर्ष
5. मोईन पुत्र शफाकत, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष
6. सोमीन पुत्र मुस्तका, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 55 वर्ष
7. गुलफाम पुत्र फखरू, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 38 वर्ष
8 .हसरत पुत्र यामीन, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष
9. सोनू पुत्र यामीन, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष
10. मोमीन पुत्र सलीमुद्दीन, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 48 वर्ष
11. साजिद पुत्र इश्तिकार, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

12. आलम पुत्र फारूख, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष
13. कलवा उर्फ मारूफ पुत्र फारूख, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 54 वर्ष
14. शहजाद पुत्र मोहब्बत, निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त फिरोज पुत्र शमशाद–

1.मु0अ0सं0-480/2020 धारा-147/148/323/34/427 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

2. मु0अ0सं0- 605/22 धारा-147/148/307/323/34/452/504/506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

अभियुक्त सोमीन पुत्र मुस्तका-

1. मु0अ0सं0- 67/24 धारा-120-बी/420/467/468/471 भादवि थाना अंकुर विहार

2.मु0अ0सं0-99/24 धारा-323/354/420/467/468/471/506/506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

अभियुक्त आलम पुत्र फारूख–

1. मु0अ0स0 705/22 धारा 147/148/149/307/336 भादवि व 7 क्र0ला0अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

स्वाट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50-50 हजार रुपये के इनामी एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2024 को स्वाट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा थाना कौशाम्बी पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित चल रहे 50-50 हजार रुपये के इनामी एक अभियुक्त रोशन प्रकाश पुत्र कुमार चन्द प्रकाश निवासी 410 डी/16 रोहिणी से0- 7 दिल्ली हाल पताजी-01/19 ज्ञानखण्ड-01 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 53 वर्ष व 01 अभियुक्ता रुचिका रंजन पत्नि रोशन प्रकाश निवासी 410 डी/16 रोहिणी से0- 7 दिल्ली हाल पता जी-01/19 ज्ञानखण्ड-01 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर फ्लैटनं0- 1104, टावर-सी-9,प्रतीक ग्राण्ड कार्नेशिया सोसाइटी सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता

1. रोशन प्रकाश पुत्र कुमारचन्द प्रकाश निवासी 410 डी/16 रोहिणी से0- 7 दिल्ली हाल पता जी-01/19 ज्ञानखण्ड-01 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 53 वर्ष।
2. श्रीमती रुचिका रंजन पत्नि रोशन प्रकाश निवासी 410 डी/16 रोहिणी से0- 7 दिल्ली हाल पता जी-01/19 ज्ञानखण्ड-01 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त रोशन प्रकाश पुत्र कुमार चन्द प्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट व धोखाधड़ी से सम्बन्धित 04 अभियोग, थाना लिंकरोड़ पर धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना चकिया

चंदौली पर धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग तथा गौतमबुद्धनगर के थाना सूरजपुर, थाना बिसरख, थाना नॉलेज पार्क व बीटा-2 पर धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01-01 अभियोग और थाना सेक्टर-49 पर धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित 04 अभियोग तथा एसटीबी दिल्ली में धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

- गिरफ्तार अभियुक्ता रुचिका रंजन पत्नि रोशन प्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट व धोखाधड़ी से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

स्वाट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम